FRA NOC Certificate regarding settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006

Date:

FORM 1(for Linear projects)

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11/9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects,

It is thus certified that laying of optical fiber cable (OFC) in forest land along the road at Hill Side SH 17 for Naugoan - Mori - Tyuni Road - 63.00, KM in Forest Division Purola, District: Uttarkashi – UK 0.9905 Ha and Total Km 63 in Forest Division Purola, Uttarkashi, District: Uttarkashi -UK. by Reliance Jio.

It is further certified that:

(a) The complete survey for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.9905 Hectares of forest area proposed for diversion for laying of optical fibre along the ROW width leased to PWD / NHAI on SH - 17.

(b) The diversion of forest land for facilitates managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the consent of Gram Sabhas is .....Not applicable / exempted for Linear projects like OFC laying (as per GOI, Ministry of Environment, Forests and Climate Change (Fc Division) letter F. No. : 11-9/98-Fc (pt) dt: 28/oct/2014.

(c) The proposal does not involve recognized right of the Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

District Collector Uttarkashi

(Full name and seal of the DC/DM)

SDM
SDO

परियोजना का नाम :– रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, द्वितीय तल एन0सी0आर0 प्लाजा, हाथी बड़कला, देहरादून द्वारा जनपद उत्तरकाशी के पुरोला वन विभाग में त्यूणी–पुरोला–नौगॉव मोटर मार्ग एस0एच0 17, 63 कि0मी0 और मोरी के नटवार 23 कि0मी0 के किनारे सिंगतूर रेंज व पुरोला रेंज सान्द्रा व देवता रेंज के अन्तर्गत रोड साइड जिसकी वैधानिक स्थिति आरक्षित वन की है के किनारे जिसकी कुल लम्बाई 86 कि0मी0 एवं 0.8690 हैक्टेयर में ट्रेन्च/एच0डी0डी0 तकनीकी के माध्यम से खुदाई कर ऑपटिकल फाईबर केबिल बिछाना।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ––––––

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ––––––––––

उपखण्ड पुरोला परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्तरकाशी टोन्स वन प्रभाग पुरोला (63 km) हे0 आरक्षित वन भूमि 33 km हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 31 km हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल –X–––– हे0 वन भूमि) का रिलाइंस जीओ इन्फोकाम प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पुरोला) की दिनांक 05/3/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पूर्ण सिंह राणा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री पूर्ण सिंह राणा उपजिलाधिकारी –––––––––––––––––––––––––अध्यक्ष

2– श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी टौंस, वन प्रभाग, पुरोला ––––––––सदस्य

3– श्री –––––––––––सहायक समाज कल्याण अधिकारी––––––––––––––––सदस्य/सचिव

4– श्री Rameshwar Prasad Nautiyal बी0डी0सी0 क्षेत्र Sakrala. ––––––––––सदस्य

B.D.O Sakrala

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि रिलाइंस जीओ इन्फोकाम लि0 द्वारा 4G ऑप्टीकल फाईबर बिछाया जाना सुनिश्चित किया है परियोजना हेतु 63 km हे0 वन 33 km भूमि में अलग-अलग गांव में नौगांव से खूनीगाड़ तक OFC बिछाया जाना है जिसकी लम्बाई (63 km) है प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के

SDM

अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पुरोला ---द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पुरोला परिक्षेत्र के अन्तर्गत रिलायन्स जियो 4G OFC परियोजना के निर्माण हेतु 63km हे0 वन भूमि 33km प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पुरोला
जनपद उत्तरकाशी

7/3/10

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

तहसील– पुरोला
जनपद उत्तरकाशी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

5/3/18